[Shri Digvijay Singh]

(16) G.S R No 873(E) dated the 30th October, 1990 exempting His Excellency Mr. Jiri Dienstbier, Deputy Prime Minister and Minister of foreign Affairs of Czech and Slovak Federal Republic and five members of the delegation on their visit to India from 30th October to 2nd November, 1990, from payment of foreign travel tax leviable thereon in respect of their international journey to any place outside India at the end of the said visit

(17) G S R No 920(E) dated the 22nd November, 1990, exempting His Majesty Jigme Singye Wang chuck, Kink of Bhutan and twelve members of the delegation on their visit of India from 23rd to 27th November 1990 from the payment of foreign travel tax leviable thereon in respect of their international journey to any place outside India at the end of the said visit

(18) G.S R. No. 923(E) dated the 26th November, 1990 exempting His Excellency Mr Krishna Prasad Bhattarai, Prime Minister of Nepal and ten members of the delegation on their visit to India from 24th to 26th November, 1990 from payment of foreign travel tax leviable thereon in respect of their international journey to any place outside India at the end of the said visit

[Placed in Library *See* No LT—1719/91 for (1) to (18)]

I Notifications of the Bank of India

II. Notfication of the Indian Bank

III Notifications of the Ministry of of Finance (Department of Economic Affairs)

SHRI DIGVIJAY SINGH Madam, I also lay in the Table

I A copy (in English and Hindi) of the Bank of India Notification No A/III/IV/58-90 dated the 20th October, 1990, publishing the Bank of India Officer Employees' (Conduct) Amendment Regulations 1989 under sub-section (4) of section 19 of the Banking Companies (Acquisition and Transfer of Undertakings) Act, 1970. [Placed in Library. *See* No LT—1723/91]

II. A copy (in English and Hindi) of the Indian Bank Notification No. SRC|223|467|89 dated the 2nd December, 1989, publishing the Indian Bank Officer Employees' (Conduct) Regulations, 1976, under sub-section (3) of section 15 of the Banking Companies (Acquisition & Transfer of Undertakings) Act, 1970

[Placed in Library *See* No LT—1723/91]

III A copy (in English and Hindi) of the Ministry of Finance (Department of Economic Affairs) Notification G S.R No 988(E), dated the 20th December, 1990, publishing the National Savings Scheme (Second Amendment) Rules, 1990, under sub-section 3) of section 15 of the Government Savings Banks Act, 1873

[Placed in Library, *See* No LT—1725/91]

I. Report and Accounts (1989-90) of the Projects and Equipment corporation of India Limited, New Delhi and related papers.

II. Report and Accounts (1989-90) of the State Trading Corporation of India Limited New Delhi and related papers

III Report and Accounts (1989-90) of the Minerals and Metals Trading Corporations of India Limited, New Delhi and related papers

IV. Report and Accounts (1989 90) of the Cashew Corporation of India Limited Cochin and related papers

V. Report and Accounts (1989-90) of the Cashew Export Promotion council of India Cochin and related papers.

VI. Report and Accounts (1989-90) of the Engineering Export Promotion Council Calcutta and related papers.

VII Report and Accounts (1989-90) of the Shellac Export Promotion council Calcutta and related papers

VIII. Report and Accounts (1989-90) of the Tobacco Board, Guntur and related papers.

IX. Notifications of the Ministry of Commerce.

वाणिज्य मंत्रालय में उपमंत्री (श्री शांतिलाल पुरुषोत्तम दास पटेल) : महोदय, मैं निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखता हूं :—

कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 619—क की उपधारा (1) के अधीन निम्नलिखित पत्रो की एक-एक प्रति (अंग्रेजी तथा हिन्दी मे) :—

I (क) 1989—90 के वर्ष के लिये प्रोजेक्ट्स और इक्विपमेंट्स कारपोरेशन आफ इंडिया लिमिटेड, नई दिल्ली, का वार्षिक प्रतिवेदन और लेखे, लेखाओ पर लेखा-परीक्षको के प्रतिवेदन और उस पर भारत के नियत्रक महालेखा परीक्षक की टिप्पणियो सहित ।

(ख) कारपोरेशन के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा । [पुस्तकालय मे रखी गई (क) और (ख) के लिए देखिए सख्या—एल०टी० -1824/91]

II (क) 1989—90 के वर्ष के लिये स्टेट ट्रेडिंग कारपोरेशन आफ इडिया लिमिटेड, नई दिल्ली, का वार्षिक प्रतिवेदन और लेखे, लेखाओ पर लेखापरीक्षको के प्रतिवेदन और उस पर भारत के नियत्रक महालेखा-परीक्षक की टिप्पणिया सहित ।

(ख) कारपोरेशन के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा । [पुस्तकालय मे रखी गई (क) और (ख) के लिए देखिए सख्या एल०टी०—1822/91]

III (क) 1989—90 के लिये मिनरल्स एण्ड मेटल्स ट्रेडिंग कारपोरेशन आफ इंडिया लिमिटेड, नई दिल्ली का वार्षिक प्रतिवेदन और लेखे, लेखाओ पर लेखा परीक्षको के प्रतिवेदन और उस पर भारत के नियत्रक महालेखापरीक्षक की टिप्पणियो सहित ।

(ख) कारपोरेशन के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा । [पुस्तकालय मे रखी गई। (क) और (ख) के लिए देखिए सख्या—एल०टी० 1823/91]

IV. (क) 1989—90 के वर्ष के लिये केश्यू कारपोरेशन आफ इडिया लिमिटेड, कोचीन, का वार्षिक प्रतिवेदन और लेखे, लेखाओ पर लेखापरीक्षको के प्रतिवेदन और उस पर भारत के नियत्रक महालेखापरीक्षक की टिप्पणियो सहित ।

(ख) कारपोरेशन के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा । [पुस्तकालय मे रखी गई । (क) और (ख) के लिए देखि सख्या एल० टी०—1825/91]

निम्नलिखित पत्रो की एक-एक प्रति (अंग्रेजी तथा हिन्दी मे) —

V (क) 1989—90 के वर्ष के लिये केश्यू एक्सपोर्ट प्रोमोशन काउसिल आफ इडिया, कोचीन, का वार्षिक प्रतिवेदन और लेखे, लेखाओ पर लेखा परीक्षकों के प्रतिवेदन सहित ।

(ख) काउसिल के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा । [पुस्तकालय मे रखी गई। (क) और (ख) के लिए देखिए सख्या—एल टी०—1831/91]

VI (क) 1989—90 के वर्ष के लिये इंजीनियरिंग एक्सपोर्ट प्रोमोशन काउसिल, कलकत्ता, का वार्षिक प्रतिवेदन और लेखे, लेखाओ पर लेखापरीक्षको के प्रतिवेदन सहित ।

(ख) काउसिल के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा । [पुस्तकालय मे रखी गई । (क) और (ख) के लिए देखिए सख्या—एल० टी० 1829/91]

VII. (क) 1989—90 के वर्ष के लिये एक्सपोर्ट प्रोमोशन काउसिल, कलकत्ता, का वार्षिक प्रतिवेदन ।

[श्री शांति लाल पुरुषोत्तम दास पटेल]

(ख) 1989–90 के वर्ष के लिये शेल्लाक एक्सपोर्ट प्रोमोशन काउसिल, कलकत्ता, के वार्षिक लेखे तथा उन पर लेखापरीक्षको का प्रतिवेदन ।

(ग) काउसिल के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा । [पुस्तकालय में रखी गई (क) से (ग) तक के लिए देखिए सख्या एल टी०–1830/91]

VIII. (क) 1989–90 के वर्ष के लिये टोबेको बोर्ड, गुन्टुर का वार्षिक प्रशासनिक प्रतिवेदन तथा लेखे लेखाओ पर लेखापरीक्षको के प्रतिवेदन सहित ।

(ख) बोर्ड के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा । [पुस्तकालय मे रखी गई । (क) और (ख) के लिए देखिए संख्या–एल० टी –1828/91]

IX. निर्यात (क्वालिटी नियंत्रण और निरीक्षण), अधिनियम, 1963 की धारा 17 की उपधारा (3) के अधीन वाणिज्य मत्रालय की निम्नलिखित अधिसूचनाओं की एक-एक प्रति (अंग्रेजी तथा हिन्दी मे) :—

(1) खनिज और अयस्क ग्रुप–II के निर्यात (निरीक्षण) (संशोधन) नियम, 1990 को प्रकाशित करने वाली का०आ स० 1561, दिनाक 2 जून, 1990 ।

(2) निर्यात निरीक्षण अभिकरण (भर्ती) (संशोधन) नियम, 1990 को प्रकाशित करने वाली सा०का०नि० सं० 396, दिनांक 30 जून, 1990 ।

(3) निर्यात (क्वालिटी, नियत्रण और निरीक्षण), (संशोधन) नियम, 1990 को प्रकाशित करने वाली का० आ० सं० 2537, दिनांक 29 सितम्बर, 1990 ।

(4) निर्यात (क्वालिटी नियत्रण और निरीक्षण) (संशोधन) नियम, 1990 को प्रकाशित करने वाली का० आ० सं० 2714, दिनांक 20 अक्तूबर, 1990 ।

(5) बासमती चावल का निर्यात (क्वालिटी नियत्रण और निरीक्षण) नियम, 1990 को प्रकाशित करने वाली का० आ० स 2539, दिनाक 29 सितम्बर, 1990 ।

(6) हिम-शीतित मछली और मछली उत्पादो का निर्यात (क्वालिटी नियत्रण और निरीक्षण) (संशोधन) नियम, 1990 को प्रकाशित करने वाली का० आ स० 2717, दिनाक 20 अक्तूबर, 1990 ।

(7) डिब्बा-बद मछली और मछली उत्पादो का निर्यात (क्वालिटी नियत्रण और निरीक्षण) (सशोधन) नियम, 1990 को प्रकाशित करने वाली का०आ० स० 2718, दिनाक 20 अक्तूबर, 1990 ।

(8) सरकार द्वारा मान्यता-प्राप्त स्टार व्यापार सदनो तथा व्यापार और निर्यात सदनों को जूते तथा जूतो के घटको के निर्यात हेतु जहाज पर लदाई से पूर्व के अनिवार्य निरीक्षण की परिधि से छूट प्रदान करने वाली का०आ० स० 805(अ), दिनांक 19 अक्तूबर 1990 ।

(9) सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त स्टार व्यापार सदनो तथा व्यापार और निर्यात सदनो को इजीनियरी उत्पादो के निर्यात हेतु जहाज पर लदाई से पूर्व अनिवार्य निरीक्षण की परिधि से छूट प्रदान करने वाली का० आ० स० 763(अ), दिनाक 6 अक्तूबर, 1990 ।

(10) शुष्क मछली का निर्यात निरीक्षण (संशोधन) नियम, 1990 को प्रकाशित करने वाली का आ सं 2836, दिनांक 10 नवम्बर, 1990 । [पुस्तकालय मे रखी गई । (1) से (10) तक के लिए देखिए संख्या एल० टी –1821/91]

(11) गर्म मसाला बोर्ड अधिनियम, 1986 की अनुसूची का संशोधन करने वाली वाणिज्य मत्रालय की अधिसूचना का आ०सं० 3130, दिनाक 24 नवम्बर, 1990 की एक-एक प्रति (अंग्रेजी तथा हिन्दी मे) । [पुस्तकालय में रखी गई । देखिए सख्या–एल०टी० 2118/91]